कार्यालय उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

दिनांक :- 6-9-2021

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 9517-20

निमित्त,
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :- Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

सन्दर्भ :- EDS Dated 25-08-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में प्रस्ताव के पार्ट–।।। की पूर्ति कर प्रस्ताव आपके पत्रांक 795 दिनांक 05.02.2021 द्वारा अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को अग्रेषित किया गया था।

प्रकरण में दिनांक 09.03.2021 द्वारा जारी EDS में रिपोर्ट श्रीमान् को इस कार्यालय के पत्रांक 6124–27 दिनांक 15.07.2021 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में पुनः प्राप्त EDS Dated 28-03-2021 अनुसार वांछित आक्षेपों की पालना रिपार्ट निम्नानुसार है –

1- What actions are taken against the accused in the matter? Please provide the details . Action taken against accused officers and other should be given

<u>प्रत्युत्तर</u>–

A. उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबधी कार्य कि जानकारी प्राप्त होते ही विभागीय स्टॉफ द्वारा तुरन्त मौके पर पहुचने पर पोकलेन मशीन के चालक श्री अमृतलाल पुत्र श्री कलजी जाती डामोर, निवासी ग्राम भरतगढ, तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा द्वारा वन भूमि में बिना अनुमति के ट्रेंच खूदाई का कार्य करते हुए पाये जाने पर तत्काल कार्य को रूकवा दिया एवं मौके से पोकलेन मशीन व ट्रोले जब्त किये जाकर मौके पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए उक्त चालक के विरूद्व राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 में नियमानुसार वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। दर्ज किये प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेंज इस कार्यालय के पत्रांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 से श्रीमान् को प्रस्तुत किये गये है। तद्नुसार प्रकरण में मुल्जिम से दण्डात्मक राशि रू. 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) वसूल की जाकर प्रकरण को अपशमन किया गया है।

B. उक्त प्रकरण में FCA 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी विभागीय स्टॉफ के विरूद्व की गयी कार्यवाही के संबध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक 6791 दिनांक 9.11.2020 के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में उनके पत्रांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि उपरोक्तानुसार पोकलेन मशीन के चालक द्वारा वन भूमि में ओएफसी बिछाने हेतु मशीनों द्वारा खुदाई का कार्य दिनांक 21.09.2020 की रात्री में चोरी–छुपे करवाया गया है, जिसकी जानकारी स्टॉफ को प्राप्त होते ही दिनांक 22.09.2020 को स्टॉफ द्वारा मौके पर पहुंच कर कार्य को तत्काल रूकवा दिया गया एवं कार्य में प्रयुक्त की गयी मशीनों को जब्त कर लिया गया।

तदनुसार इस प्रकरण में FCA 1980 के उल्लंघन के लिए विभागीय स्टॉफ कि कोई भी साठ–गांठ व लापरवाही नहीं होने से विभागीय स्टॉफ के विरूद्व कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

2- CCF has to upload the site inspection report.

प्रत्युत्तर – उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार उल्लंघन किये गये वन क्षेत्र का मौका निरीक्षण श्रीमान् द्वारा दिनांक 08.06.2021 को किया गया है। जिसके संबध में वांछित मौका निरीक्षण रिपार्ट श्रीमान् के स्तर से प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

3- Detail report of violation needs to be provided.

प्रत्युत्तर– प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबध में विस्तृत विवरण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी छांयाप्रति अवलोकनार्थ पुनः संलग्न प्रस्तुत है।

DFA approved
6.9.21

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 9517-20 दिनांक :– 6-9-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी,कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. 3rd Floor, Metro Tower, Squire Scheme no. 54, Indore (Madhya Pradesh)

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा